संख्या-139 /2025/2205/26-3-2025-1570272

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 अगस्त, 2025

विषयः- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि से वित्तीय वर्ष 2024-25 की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1410-11/स0क0/शिक्षा-अ/8/257/2025-26 दिनांक 16.06.2025 एवं संख्या-2021/स0क0/शिक्षा-अ/7/257/2025-26 दिनांक 13.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 93,013 अनुसूचित जाति छात्रों हेतु सृजित मांग एवं मा0 न्यायालय/मा० आयोग आदि में लम्बित प्रकरणों की देयताओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0-880.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0-85.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की लम्बित देयता हेतु 93,013 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-80.36 करोड़ की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 93,013 अनुसूचित जाति छात्रों हेतु सृजित मांग एवं मा0 न्यायालय/मा० आयोग आदि में लम्बित प्रकरणों की देयताओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत राजस्व मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-880.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0-85.00 करोड़ (रूपये पच्चयासी करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की लम्बित देयता हेतु कुल 93,013 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-80.36 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ छत्तीस लाख मात्र) की अनुमति प्रदान किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2025/231-2025-दस/352-1-बी/2025/6-दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सम्बन्ध में

यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन छात्र-छात्राओं की गत वित्तीय वर्ष की देयता लम्बित है था, उन्ही छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाए। प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि के भुगतान में द्विरावृत्ति न हो ।

(6) योजनान्तर्गत लम्बित देयता से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन / परीक्षणों परान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान आधार सीडेड एकाउन्ट में किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत लम्बित देयता से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों के सुसंगत बैंक खातों में अंतरण के सम्बन्ध में संतुष्ट होने के उपरान्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष, 2025-26 में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेगें।

(9) चालू वित्तीय वर्ष में यह प्रयास किया जायेगा कि छात्रवृत्ति का वितरण समयान्तर्गत हो जाए, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

(10) सुनिश्चित हो लेंगे कि भविष्य में इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(11) सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों/नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था/भारत सराकर की गाइडलाईन में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 80.36 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ छत्तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 लेखाशीर्षक 2225-01-277-01-0102 के मानक मद 21-छात्रवृत्ति और छात्र वेतन के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 27-08-2025
17:45:49

भवदीय,

(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0 संख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव